18/3/2025 मुकुन्नाएर फरिकैन उपस्थित। प्रतिवादी सं. 16 ता 18 जवाब पेश नहीं करना चाहते इसलिये जवाब बंद किया जाता है। प्रतिवादी सं. 13 ने जवाब हेतु समय चाहा पूर्व मे कई अवसर दिये जा चुके हैं। न्यायहित मे अंतिम अवसर दिया जाता है। प्रतिवादी सं. 10 ता 12, 14, 15, 19 बावजूद विधिवत रजि० समन तामिल के उपस्थित नहीं इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में ली जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादीगण तारीख 03/4/2025 को पेश हो।

03/4/2025 मुकुन्नाएर फरिकैन उपस्थित। प्रतिवादी सं. 13 ने जवाब हेतु समय चाहा पूर्व में काफी अवसर दिये जा चुके हैं फिर भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने की सूरत मे जवाब बंद किया जाता है। प्रतिवादी सं. 20 औपचारिक पक्षकार है इसलिये जवाब बंद किया जाता है। अधीनस्थ गुलाबकंवर वगैरह के जरिये वकील प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 CPC पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1 फौत हो चुका है जिसके वारीसान को पक्षकार बनाया जिस पर वकील वादी ने अनापत्ति पेश की प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक प्रार्थना पत्र क्रमांक 1 के स्थान पर वारीसान को पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी सं. 1 का जवाब पूर्व मे आ चुका है इसलिये प्रतिवादी सं. 1 के वारीसान जवाब पेश नहीं करना चाहते। पत्रावली वास्ते ~~साक्ष्य~~ आर्डर तारीख 07/4/2025 को पेश हो।

07/4/2025 मुकुन्नाएर फरिकैन उपस्थित। वादी प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते। मुकुन्नाएर फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] उपलब्ध रिकार्ड व प्रति.सं. 1 ता 9 की [illegible] पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। [illegible] निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल फाइल किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Ku
Date: 2025.04.29 13:33:36 IS
Reason: SelfAttested